न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी रतन लाल योगी आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 01/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		श्री चेतन सांखला पुत्र श्री रामदीन सांखला निवासी आनन्द सिनेमा के पास जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः-
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार महिमा जैन प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री डी.के. विश्नोई उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 10.07.2024

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री चेतन सांखला पुत्र श्री रामदीन सांखला, निवासी आनंद सिनेमा के पास, जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 01 व्यावसायिक व 06 घरेलु गैस सिलेण्डरों के साथ 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा गैस सिलेण्डर के ऊपर लगाये जाने वाले ढक्कन को राज्यसात करने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर को दिनांक 15.01.2024 को पेश किया। श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा यह प्रकरण दिनांक 09.02.2024 को सुनवाई के लिए इस न्यायालय को प्रेषित किया गया जिसको दिनांक 14.03.2024 को दर्ज किया जाकर पक्षकारों को सुना गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 03.01.2024 को मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर जिला रसद अधिकारी जोधपुर के आदेशानुसार आनंद सिनेमा के पास रेलवे स्टेशन जोधपुर पर रसद विभाग की निरीक्षण टीम द्वारा पहुंचने पर मौके पर उपस्थित श्री चेतन स[illegible] घर तथा घर के नीचे स्थित दुकान से 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 06 घरेलु [illegible] के साथ 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा गैस सिलेण्डर के ऊपर लगाये जाने वाले [illegible] मिले। मौके पर अप्रार्थी से गैस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:08:02 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

सिलेण्डर व अन्य सामान के बारे में पूछताछ करने पर किसी प्रकार का कोई सन्तोपजनक जवाब नहीं मिला तथा ना ही विधिक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। उक्त परिसर में पाये गये व्यावसायिक व घरेलु गैस सिलेण्डर जिनका विवरण इस प्रकार है :-

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	इण्डेन	2473531 (N.D.)	19.5 कि.ग्रा.	19.5 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
2.	इण्डेन	50010 (S)	16.0 कि.ग्रा.	16.0 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
3.	इण्डेन	687973	15.8 कि.ग्रा.	15.8 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
4.	इण्डेन	519124	15.7 कि.ग्रा.	15.7 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
5.	इण्डेन	015592	15.5 कि.ग्रा.	15.5 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
6.	इण्डेन	107017	15.9 कि.ग्रा.	15.9 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
7.	इण्डेन	824086	15.4 कि.ग्रा.	15.4 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.

उक्त 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 06 घरेलु गैस सिलेण्डर के साथ 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा गैस सिलेण्डर के ऊपर लगाये जाने वाले ढक्कन जब्त सरकार किया जाकर श्री सर्वेश पारीक पु श्री जनार्दन पारीक उम्र 40 वर्ष मालिक जोधपुर गैस एजेन्सी जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार मौके पर अप्रार्थी द्वारा 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 06 घरेलु गैस सिलेण्डर के साथ 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा गैस सिलेण्डर के ऊपर लगाये जाने वाले ढक्कन का अवैध भण्डारण किया गया जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 06 घरेलु गैस सिलेण्डर के साथ 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा गैस सिलेण्डर के ऊपर लगाये जाने वाले ढक्कन को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

अप्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता लिखित जवाब पेश किया जिसमें बताया कि दिनांक 03.01.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच व निरीक्षण करने पर मुझ प्रार्थी के प्रतिष्ठान मंगलम कैटर्स एवं घर आनन्द सिनेमा के पास जोधपुर से 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर 06 घरेलू गैस सिलेण्डर एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा गैस टंकी के ऊपर लगाये जाने वाले ढक्कन बरामद किये गये। मुझ प्रार्थी द्वारा संतोषजनक जवाब दिया गया परन्तु प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मेरे जवाबों को दरकिनार करते हुए उपर्युक्त सामान जब्त कर ले जाया गया जबकि मेरे द्वारा केट्रिंग का कार्य किया जाता है जिसमें शादी, विवाह व पार्टियों में सभी प्रकार की स्टॉल एवं सम्पर्ण केट्रिंग का कार्य किया जाता है, जिसके तहत मेरे पास व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का कनेक्शन है जो मेरे मंगलम कैटर्स के नाम से जोधपुर गैस सर्विस शास्त्रीनगर जोधपुर से लिया हुआ है एवं मेरे खुद के घर में घरेलू गैस कनेक्शन श्रीमती मोहनीदेवी मेरी माताजी के नाम से है जिसमें डी.बी. (दो टंकिया) का कनेक्शन है एवं मोहनीदेवी जो कि मेरी चाचीजी है जिसमें एक टंकी का कनेक्शन है। मेरे ही मकान में दो किरायेदार रहते है [illegible] पत्नि गोकुलराम व जसोदा देवी पत्नि पप्पूराम भी मेरे पास केटरिंग का कार्य करती है जिसका गैस टंकी भी मेरे

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:08:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर (रसद), जोधपुर

घर पर मौजूद थी एवं केटरिंग में माल तुलाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा जो मेरा स्वयं का था जो काम आता है वो मौजूद था जिसको प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा बिना वजह बरामद किया गया है मेरे द्वारा कोई किसी प्रकार के द्रवित पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 के प्रावधानों के उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कोई अपराध कारित नहीं किया है फिर भी आप द्वारा दिये गये नोटिस का प्रत्युत्तर मय दस्तावेज प्रस्तुत कर मेरे जब्तसुदा माल को राज्यसात नहीं किया जाकर प्रार्थी द्वारा जब्त 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 06 घरेलु गैस सिलेण्डर के साथ 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा गैस सिलेण्डर के ऊपर लगाये जाने वाले ढक्कन को वापस लौटाये जाने का आदेश हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थी के विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार महिमा जैन प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच मौके पर जब्त 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 06 घरेलु गैस सिलेण्डर के साथ 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा गैस सिलेण्डर के ऊपर लगाये जाने वाले ढक्कन के बारे में किसी प्रकार का सन्तोषजनक जवाब व विधिक दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 06 घरेलु गैस सिलेण्डर के साथ 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा गैस सिलेण्डर के ऊपर लगाये जाने वाले ढक्कन अवैध रूप से भण्डारण किया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त जब्त 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 06 घरेलु गैस सिलेण्डर के साथ 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा गैस सिलेण्डर के ऊपर लगाये जाने वाले ढक्कन को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री डी.के. विश्नोई ने प्रकरण में प्रस्तुत अपने लिखित जवाब को ही अपनी बहस मानते हुए प्रार्थी द्वारा जब्त उक्त 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 06 घरेलु गैस सिलेण्डर के साथ 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा गैस सिलेण्डर के ऊपर लगाये जाने वाले ढक्कन अप्रार्थी को सुपुर्दगी आदेश हेतु निवेदन किया गया।

हमने विभागीय पेरोकार की बहस व अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत लिखित जवाब पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार जब्त 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 06 घरेलु गैस सिलेण्डर के साथ 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा गैस सिलेण्डर के ऊपर लगाये जाने वाले ढक्कन को मौके पर अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से भण्डारण किया गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 06 घरेलु गैस सिलेण्डर के साथ 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा गैस सिलेण्डर के ऊपर लगाये जाने वाले ढक्कन से संबंधित दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किये गये थे। अप्रार्थी ने अपने जवाब के साथ गैस कनेक्शन की डायरियों की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत कर उक्त सिलेण्डर [illegible] व किरायेदारों के होना बताया है किन्तु अप्रार्थी द्वारा मौके पर इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है, इससे यह साबित होता है कि उक्त गैस सिलेण्डर अवैध रूप से भण्डारण किये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:08:02 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अधिक मात्रा में व्यावसायिक व घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण करने व से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी ने द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन किया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा उक्त 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 06 घरेलु गैस सिलेण्डर के साथ 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा गैस सिलेण्डर के ऊपर लगाये जाने वाले ढक्कन को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी, प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 06 घरेलु गैस सिलेण्डर के साथ 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा गैस सिलेण्डर के ऊपर लगाये जाने वाले ढक्कन को नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन लाल योगी)
अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:08:02 IST
Reason: SelfAttested